



प्रेस-नोट

जनपद अम्बेडकरनगर, थाना- जैतपुर

दिनांक- 29.09.2026

जनपद अम्बेडकरनगर- थाना जैतपुर पुलिस द्वारा पिता की हत्या के अभियोग में 01 वर्ष से फरार ₹25,000/- के पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर आलाकत्ल कुल्हाड़ी बरामद की गई।

पुलिस अधीक्षक महोदय सुश्री प्राची सिंह के निर्देशन में जनपद अम्बेडकरनगर में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) डॉ. तेजवीर सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी जलालपुर श्री अनूप कुमार सिंह के मार्गदर्शन में थाना जैतपुर पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित एवं 25,000 रुपये के पुरस्कार घोषित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण-

थाना जैतपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 199/2025 धारा 103(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्त ओमकार पुत्र स्व0 रामस्वरूप, निवासी ग्राम मुस्कुराई, थाना जैतपुर, जनपद अम्बेडकरनगर, उम्र करीब 23 वर्ष, विगत लगभग एक वर्ष से फरार चल रहा था। अभियुक्त की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। थाना जैतपुर पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास करते हुए अभियुक्त को दिनांक 29.09.2026 को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही के उपरांत माननीय न्यायालय, अम्बेडकरनगर के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया। घटना का संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 05.09.2025 को वादी श्री विपिन पुत्र स्व0 रामस्वरूप, निवासी ग्राम मुस्कुराई, थाना जैतपुर, जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा अपने पिता की अज्ञात व्यक्ति के द्वारा हत्या कर दिए जाने के संबंध में लिखित तहरीर दी गई थी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जैतपुर पर मु0अ0सं0 199/2025 धारा 103(1) बीएनएस के अंतर्गत अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान ओमकार पुत्र स्व0 रामस्वरूप, निवासी ग्राम मुस्कुराई, थाना जैतपुर, जनपद अम्बेडकरनगर का नाम प्रकाश में आया। अभियुक्त घटना के बाद से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। थाना जैतपुर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 29.09.2026 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि उसके पिता शराब का सेवन करते थे तथा घर की संपत्ति बेच रहे थे। अभियुक्त के अनुसार, उसके पिता बड़ी बहन को भी संपत्ति में हिस्सा देने की बात करते थे तथा उसकी बहन को जलालपुर में किराये पर कमरा दिलाकर उसके खर्चों का वहन भी करते थे। इन बातों को लेकर घर में आए दिन विवाद होता रहता था। अभियुक्त के कथनानुसार, बार-बार समझाने के बावजूद विवाद समाप्त नहीं होने पर उसने अपना आपा खो दिया और कुल्हाड़ी से अपने पिता की हत्या कर दी तथा घटना के बाद घर से फरार हो गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. ओमकार पुत्र स्व० रामस्वरूप, निवासी ग्राम मुस्कुराई, थाना जैतपुर, जनपद अम्बेडकरनगर, उम्र करीब 23 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 199/2025, धारा 103(1) बीएनएस, थाना जैतपुर, जनपद अम्बेडकरनगर।

बरामदगी-

एक अदद कुल्हाड़ी (आलाकत्तल)।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम (थाना जैतपुर) -

1. थानाध्यक्ष प्रेमचन्द्र
2. व०उ०नि० संजय सिंह
3. उ०नि० अजय सरोज
4. हे०का० बृजेश यादव
5. का० सौरभ पटेल
6. का० रामईश्वर यादव
7. का० मोनू चौधरी
8. का० शुभम सिंह
9. का० सुनील मौर्या